मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- भ्रष्टाचारी जेल अधीक्षक की नौटंकियां
- हरियाणा में छुटभैये भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी — 3
- ब्लू व्हेल गेम की भारत में दस्तक, बचाइए अपने बच्चों को — 4
- मुख्य न्यायधीश को लिखा पत्र — 5
- भाजपाई गुंडागर्दी : सत्ता का नशा
- कश्मीर में मोहरे नहीं, बिसात बदलने की जरूरत — 8

वर्ष 30 अंक 19 फरीदाबाद, 16-31 अगस्त 2017 फोन : - 9999595632 2 ₹

ईएसआइ मेडिकल कॉलेज की दिशा

गोरखपुर के खूनी मेडिकल कॉलेज की ओर

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत 8 वर्षों से बन रहे एन एच-3 स्थित इस मेडिकल कॉलेज की याद आखिर केन्द्रीय श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय को आ ही गयी। चलो इनको तो याद आ गयी इससे पूर्व तो किसी को कभी आई ही नहीं। और तो और किसी स्थानीय नेता विधायक एवं मंत्री को भी नहीं आई।

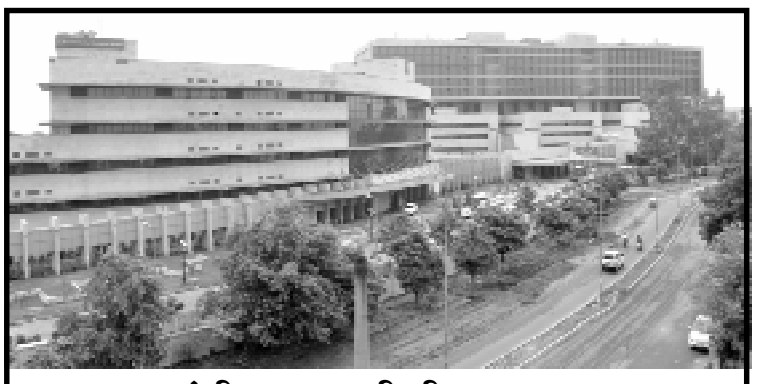

उंची दुकान फीकी पकवान।

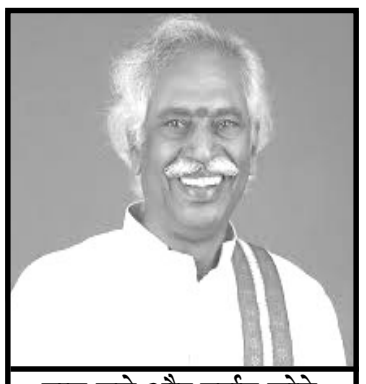

नाम बडे और दर्शन छोटे

मज़दूर मार्चा, फ़रीदाबाद ब्यूरो

दिनांक 4 अगस्त को सेक्टर 47 स्थित भारत सरकार के एक श्रम संस्थान में भाषण देने आये मंत्री जी को जब बताया गया कि उनके विभाग के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में यहां एक मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है तो वे इसे देखने चले आये। उन्होंने पाया कि हज़ार करोड़ की नई बिल्डिंग बन चुकने के बावजूद श्रमिक (मरीज़) पुरानी सड़ी सी बिल्डिंग में एक बेड पर दो-दो पड़े हुए हैं।

ओपीडी (पर्ची बनवाने)में भारी भीड़, मरीज़ो की लम्बी लाइनें देखकर मंत्री जी को श्रमिकों की दुर्दशा का कुछ एहसास तो हुआ। साथ आये डीजी राजकुमार आईएएस से थोड़ी पूछताछ करने के बाद कतार में लगी बेहाल महिलाओं से हाल-चाल पूछा उनके सिर पर हाथ फ़ेर कर आशीर्वाद दिया। व्यवस्था के प्रति विरोध एवं गुस्से को भूल कर मरीज़ मन्त्री जी के कायल हो गये। शायद सोचते होंगे कि मन्त्री जी तो बहुत संवेदनशील हैं, पर वे अकेले क्या क्या करें?

इस मेडिकल कॉलेज का नक्शा 27 फ़रवरी 2009 को पास हुआ था। पूरे एक साल ठंडे बस्ते में रहने के बाद फ़रवरी 2010 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसे 2012 तक पूरा हो जाना था। लेकिन केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय की नाक के नीचे बैठे ईएसआईसी मुख्यालय में तैनात हरामखोर अफ़सरशाही की करतूतों के चलते यह काम आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है।

मुख्यालय में तैनात इन अफ़सरों का तो पूरा ज़ोर इस प्रोजेक्ट को ठप्प करने पर लगा रहा, इसके लिये वे हर रोज़ नई नई तिकड़में लगाते रहे। सन् 2014 में जब दीपक कुमार आईएएस ने डीजी का पदभार सम्भाला तो इस प्रोजेक्ट में कुछ जान पड़ी। तिकड़मबाज़ों पर लगाम लगी और दीपक कुमार के सद्प्रयासों से वर्ष 2015 में एमबीबीएस का पहला बैच शुरू हो पाया।

लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं था। जिस दिन इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार हुई उसी दिन पता था कि इसके लिये 11.5 मेगावाट का बिजली कनेक्शन चाहियेगा, उसी दिन पता था कि कितने प्रोफ़ेसर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ़ क्लर्क आदि चाहियेंगे। उसी दिन पता था कि कितनी व कैसी एक्सरे व अल्ट्रासाऊंड मशीनें व अन्य उपकरणों की जरूरत होगी।

लेकिन इस सबके बावजूद आज यहां केवल 4.5 मेगावाट का कनेक्शन वह भी मार्च 2017 में लग पाया है जिससे केवल नवम्बर 2017 तक का ही काम चल पायेगा बिल्डिंग बनी खड़ी है लेकिन फ़ायर एनओसी अब इसी माह जाकर मिला है वह भी 7 वीं मंजिल तक। शेष 8 वीं से 10 वीं का पता नहीं कब मिलेगा। यही वे मंजिलें हैं जिन पर मरीज़ों के बेड लगने हैं।

सबसे त्रासद कि डॉक्टर प्रोफ़ेसरों की 82 पोस्टों के मुकाबले केवल 18 ही तैनात हैं। नियमानुसार रिक्त पदों के लिये मार्च 2017 में विज्ञापन निकालकर अप्रैल में भर्ती हो जानी चाहीये थी, लेकिन विज्ञापन ही 20.7.17 को जारी किया गया वह भी मात्र 56 पोस्टों के लिये, यानी 8 पोस्ट फ़िर भी रिक्त रह जायेगी।

नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ़ की परीक्षायें मार्च 2016 में हो चुकी हैं, लेकिन उनकी

शेष पेज दो पर

दोस्तो! हम अभी जिंदा हैं !

'मज़दूर मोर्चा' के रूप में मेहनतकशों की आवाज नवम्बर 2016 से यकायक बन्द हो गयी। पहली नवम्बर का अंक सुधी पाठकों के सामने नहीं आ पाया। जाहिर है 9-10 माह के इस अन्तराल में आम जनता के जो मुद्दे उठाये जाने चाहियें थे ,वे हमसे नहीं उठ पाये।

पाठक यह भी जरूर चाहेंगे कि मैं स्वयं आखिर इतने दिनों तक क्यों और कहां गायब रहा? लब्बो लुआब यह, कि मैं गली-सड़ी आपराधिक न्याय-व्यवस्था का शिकार होकर स्थानीय नीमका जेल में बंद रहा।

बंदी आदेश क्योंकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का था, इसलिये अपील और जमानत अर्जी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ में दायर की गयी। वहां 85 जजों की जगह मात्र 40 जजों की तैनाती के चलते इस तरह की अपीलों व जमानत अर्जियों का ढेर लगा है, जहां सुनवाई का नम्बर महीनों व बरसों में आता है

हाई कोर्ट कार्यप्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि 10 साल की सज़ा वाले की 3-4 साल से पहले जमानत नहीं करनी। अपील, जो और 5-7 साल बाद सुनी जायेगी, उसमें चाहे वह दोष मुक्त एवं बरी ही क्यों न हो जाय। मतलब यह हुआ कि अपील सुनने के बाद हाई कोर्ट चाहे उसे निर्दोष ही ठहरा दे, परन्तु सैशन ने जो गलत-सही सज़ा सुना दी उसका एक खासा भाग तो उसे काटना ही होगा। जबकि पड़ोस में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत तुरन्त मिलती है, सज़ा यदि बनती है तो अपील के बाद दी जाती है। मेरी व दो सहअभियुक्तों की जमानत याचिका पर फ़ाइनल सुनवाई 25 जुलाई 2017 को हुई। और हमारी जमानत की मंजूरी हुई। वैसे ये सुनवाइयां जनवरी 2017 से ही शुरू हो गयी थी। सुनवाइयों को लेकर जो यह ड्रामा हाई कोर्ट में हुआ, उसे लेकर मैंने जेल से ही माननीय मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखा था जो बॉक्स में दिया है, उसे पढने के बाद पाठक इस केस के बारे में काफ़ी कुछ जान पायेंगे। वैसे पत्र तो मैंने इसके बाद एक और भी लिखा था जिसको यथासमय प्रकाशित किया जायेगा।

क्या था केस?

सह-अभियुक्त अशोक मित्तल ने आस्ट्रेलिया निवासी चार्टर्ड एकाऊंटेंट राजीव नरूला से एक प्लाट खरीदा जो बैंक में गिरवी था। मित्तल ने बैंक को पूरा कर्जा चुका कर शेष रकम उसे नकद दे दी। बैंक से दस्तावेज निकलवाने व तहसील में रजिस्ट्री कराने का समय नरूला के पास नही था; लिहाजा वह तमाम आवश्यक दस्तावेज बनवा कर मित्तल को देकर आस्ट्रेलिया चला गया। इन दस्तावेजों में मित्तल क्योंकि मुख्त्यारे आम (जी पी ए) थे और उनकी कम्पनी की ओर से सारी पेमेंट नरूला को की गयी थी और प्लाट कम्पनी को ही पंजीकृत होना था, लिहाजा

शेष पेज पांच पर

जेल भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा

सुपरिंटेंडेंट बड़ा लुटेरा

फ़रीदाबाद (म.मो.) नौ माह के जेल प्रवास में जो अनुभव हुए वे एक मुश्त तो इस पाक्षिक में नहीं समेटे जा सकते, परन्तु इतना तो तय है कि वे अनुभव देश-समाज तक पहुंचाने बहुत जरूरी हैं।

जेल के अंदर बंद कैदी इतने खतरनाक एवं समाज के लिये घातक नहीं हैं जितने जेल के बाहर छुट्टे घूम रहे समाज के दुश्मन होते हैं; बे न कवल छुट्टे घूम रहे हैं बल्कि राजनीतिक सामाजिक एवं प्रशासनिक पदों पर काबिज हैं। अपने पदों के दुरूपयोग से ये लोग देश व समाज को बर्बाद करने में जुटे हैं। फ़िलहाल और कहीं की नहीं, जेल पर तैनात सरकारी अमले को ही ले लें।

करीब 95 एकड़ के भू-खंड पर बनी इस किलानुमा जेल में 2500 कैदियों की जगह है जिसमें 2200-2300 के करीब कैदी रहते हैं। इनमें से करीब 60 प्रतिशत बेकसूर होते हुए भी केवल इस लिये अन्दर हैं कि हमारी राजनीतिक व आपराधिक न्याय व्यवस्था आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

तमाम कैदियों के नियन्त्रण एवं देख-भाल के लिये एक सुपरिंटेंडेंट व करीब 200 अन्य अधिकारी / कर्मचारी तैनात हैं। सुपरिंटेंडेंट अपने आपको यहां का बादशाह समझता है। जेल से बाहर चाहे उसकी कदर दो धेले की न हो लेकिन यहां उसकी दहशत जंगल के उस शेर जैसी बनाने का प्रयास किया जाता है। जिसके डर से हिरण, खरगोश आदि छिपे फ़िरते हैं।

जब भी वह अपने दफ़तर से उठकर जेल के भीतर घुसने लगता है तो लाउड स्पीकर द्वारा घोषित करा कर सभी कैदियों को बैरकों में बन्द कर दिया जाता है। लगता है कैदी उससे नहीं बल्कि वह खुद कैदियों से डरता है। इसलिये कैदियों के बन्द होने के बावजदू वह 8-10 वार्डरों को साथ लेकर निकलता है।

देश भर में मोदी और हरियाणा भर में खट्टर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग का ढोल पीट रहे हैं। तमाम देश में फैला भ्रष्टाचार तो सब को दिख रहा है परन्तु जेल की किलेबंदी ऐसी है कि इसमें चल रहा भ्रष्टाचार इसमें रहने वालों के सिवाय किसी को दिखाई नहीं देता। हरियाणा सरकार प्रत्येक कैदी पर करीब 180 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खाने पर खर्च कर रही है जबकि कैदी को 60-70 रुपये का खाना भी प्रति दिन नहीं मिल पाता। खरीदारी के बिलों में हेराफ़री करके कैदियों के राशन का बड़ा हिस्सा प्रशासन द्वारा हड़प लिया जाता है। इसके चलते बाज़ार की सबसे घटिया किस्म की दाल व सब्ज़ी इत्यादि खरीद कर लाई जाती है। जहां एक हज़ार कैदियों के लिये 90 किलोग्राम दाल मिलनी चाहिये वहां 50 55 किलो से ही काम चलाया जाता है। जाहिर है ऐसे में दाल की बाल्टी में 70 प्रतिशत पानी व 30 प्रतिशत दाल होगी। सर्दियों में मूली, गाजर, गोभी आदि की सब्ज़ी में पानी की मात्रा इसी प्रकार रहती है। गर्मियों में पेठा, घीया व तोरी का भी यही हाल रहता है।

सुबह साढे छः बजे से आठ बजे के बीच दाल व रोटी दे दी जाती है और इसी के साथ चाय। शाम की चाय 4 बजे व सब्ज़ी रोटी 5 बजे पकड़ा दी जाती है। इसके अतिरिक्त आधी थैली वीटा का डबल टोन्ड दूध व रविवार को ऐसे ही दूध की नकली सी खीर मिलती है। इसी से पाठक समझ सकते हैं कि खाने पर खर्च क्या हो रहा है। खाना पकाने का कोई खर्चा नहीं क्योंकि इसे कैदी खुद ही पकाते हैं।

ऐसा घटिया खाना देने से प्रशासन को दोहरा लाभ होता है। एक ओर जहां राशन का पैसा सीधे-सीधे डकारा गया, वहीं मजबूरी में, अच्छा,खाना खाने के लिये समर्थ कैदी कच्चे कोयले की छोटी छोटी अंगिठियां बना कर अपना खाना बनाते हैं। इसके लिये कोयला जेल प्रशासन निजी मुनाफ़े के लिये बाहर से खरीद कर लाता है। और बाज़ार भाव से दो या ढाई गुणे दामों पर बेचता है।

खाली कोयले या अंगीठी से तो खाना बनता नहीं इसके लिये दालें व सब्ज़ियां आदि सब कुछ चाहिये होता है। लिहाज़ा इसी प्रकार हर चीज़ बाज़ार भाव से दोगुणे और तीनगुणे दामों पर बेची जाती हैं। अभी जो खीरा मंडी में 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है जेल में उसके दाम 40 से 50 रुपये किलो है।

शेष पेज दो पर